

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक-1

पावर कंपनी के ऋण के टेकओवर हेतु ब्याज भुगतान के लिए ₹ 10000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक-2

एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान के लिए ₹ 4231.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 42,31,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक-3

पावर कंपनी के ऋण के टेकओवर हेतु ₹ 10000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक-4

5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजनांतर्गत ₹ 10000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक-5

उदय योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान हेतु ₹ 10000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक-6

घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना हेतु ₹ 5768.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 57,68,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक-7

मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत आई.टी.आई. भिलाई के कुटेलाभाठा दुर्ग में विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु ₹ 79.68 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 79,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक-8

इंदिरा गांव गंगा योजना हेतु ₹ 750.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।